HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 259/2026

Juvenile Y Son Of Shri Chetram Meena S/o Shri Badri, Resident Of 147, Nohra Thok, Badolas, Sawai Madhopur, Rajasthan. (Presently At Correction Home Dausa.)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Its Public Prosecutor.
2. Lokesh Jatav Son Of Shri Bharat Lal Jatav, Aged About 28 Years, Resident Of Jesani, Todabhim, Karauli, Rajastan.

----Respondents

Connected With

S.B. Criminal Revision Petition No. 131/2026

Juvenile X Son Of Shri Bhajan Lal Meena S/o Ramshay Meena, Resident Of Harinarayan Ki Dhani, Rajwas, Dausa. (Presently At Correction Home Dausa.)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Its Public Prosecutor.
2. Lokesh Jatav Son Of Shri Bharat Lal Jatav, Aged About 28 Years, Resident Of Jesani, Todabhim, Karauli, Rajastan.

----Respondents

For Petitioner(s) : श्री मनीष कुमार मीणा
For Respondent(s) : श्री जयप्रकाश तिवाड़ी, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

27-02-2026

अधीनस्थ विचारण न्यायालय, प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, **किशोर न्याय बोर्ड, दौसा जिला दौसा, राजस्थान** द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**459/2025** पुलिस थाना, **सदर, दौसा** में पारित आदेश क्रमशः दिनांक 09.01.2026 व 17.12.2025 जिसके तहत याचीगण–किशोरों का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा **12**

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम खारिज किया गया एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय, **बालक न्यायालय (सेशन न्यायाधीश) जिला दौसा** द्वारा दाण्डिक अपील संख्या–**04/2026 व 151/2025** में पारित आदेश क्रमशः दिनांक **31.01.2026 व 22.12.2025** जिसके तहत याचीगण–किशोरों की ओर से प्रस्तुत अपीलें अंतर्गत धारा **101** किशोर न्याय अधिनियम खारिज की गई, से व्यथित होकर याचीगण–किशोरों की ओर से **जरिये संरक्षक** ये पृथक–पृथक फौजदारी पुनरीक्षण याचिकाऐं (जमानत) प्रस्तुत की गई हैं।

बहस सुनी गई।

योग्य अधिवक्ता याचीगण का कथन रहा कि याचीगण अवयस्क किशोर हैं तथा उन्हें इस प्रकरण में मिथ्या लिप्त किया गया है। पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो चुका है । उनका यह भी कथन है कि पत्रावली पर ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे याचीगण का किसी आपराधिक आचरण रखने वाले व्यक्ति के साथ सम्पर्क रहना प्रकट होता हो तथा याचीगण के चरित्र एवं आचरण के क्रम में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं है। याचीगण दिनांक 14.12.2025 से सम्प्रेषण गृह में है, अधिक समय तक सम्प्रेषण गृह में रखने से उनके भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है । उनका यह भी निवेदन है कि किशोर के मामले में अपराध की गंभीरता को नहीं देखना है बल्कि किशोर का हित देखा जाना है । अतः रिवीजन याचिका स्वीकार की जाकर याचीगण किशोरों को जमानत का लाभ दिया जावे।

योग्य लोक अभियोजक द्वारा रिवीजन याचिकाओं का विरोध किया गया।

हमने दोनों पक्षों द्वारा रखे गए तर्कों व वितर्कों तथा प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार किया व पत्रावली का अवलोकन किया ।

याचीगण सुकुमार अवस्था के किशोर हैं तथा किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई विपरीत तथ्यात्मक स्थिति प्रकट नहीं हुई है, पक्षकारान के मध्य हुआ राजीनामा केस डायरी में उपलब्ध है, ऐसा भी दर्शित नहीं होता कि यदि याचीगण को यदि सुपुदर्गी पर दिया जाता है तो वह ज्ञात अपराधियों के सहचर्य में आ सकते हैं तथा उनको नैतिक, शारीरिक व

मनौवैज्ञानिक खतरा है। ऐसा भी कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है कि उन्हें जमानत पर मुक्त किए जाने पर वे पुनः आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त होंगे। परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट में भी यह अंकित है कि याचीगण का परिवार में रहना उचित होगा। परिणामस्वरूप ये जमानत पुनरीक्षण याचिकाऐं स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

परिणामतः याचीगण **1. ''वाई'' पुत्र ''बी'' तथा 2. ''एक्स'' पुत्र भजनलाल** की ओर से जरिये संरक्षक प्रस्तुत ये दोनों फौजदारी पुनरीक्षण याचिकाऐं स्वीकार की जाती हैं और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश क्रमशः दिनांक 09.01.2026, 31.01.2026, 17.12.2025 तथा 22.12.2025 अपास्त किए जाते है एवं आदेश दिया जाता है कि यदि याचीगण की ओर से उनके **संरक्षक** अधीनस्थ विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, **पचास हजार रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचीस–पचीस हजार रूपये** की दो प्रतिभूतियॉ इन शर्तों के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे कि जमानत के दौरान वे याचीगण–किशोरों को अपनी संरक्षकता में सुरक्षित रखेंगे, किसी आपराधिक तत्व के सम्पर्क में नहीं आने देंगे एवं न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर याचीगण–किशोरों को न्यायालय में उपस्थित कर देंगे तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Rishikesh Soni/13-14